

राजस्थान सरकार
कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर (राज.)
अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित छात्रावास में छात्र/छात्रा
(राजस्थान के मूल निवासी) के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

आवेदक द्वारा पूर्ति हेतु

1. आवेदक का नाम : पुत्र/पुत्री श्री
उम्र जाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ग्राम / कस्बा
..... तहसील जिला यदि
पिता जीवित न हो तो संरक्षक का पूर्ण पता मय आवेदक से संबंध
2. शिक्षण संस्था से संबंधित विवरण :
अ. राजकीय मान्यता प्राप्त पाठशाला का नाम जहाँ आवेदक ने प्रवेश लिया ...
.....
ब. प्रवेशित कक्षा से पिछली कक्षा की अंकतालिका (प्रमाणित प्रतिलिपि
संलग्न) के अनुसार प्राप्तांक का प्रतिशत
3. परिवार की वार्षिक आय के संबंध में पटवारी अथवा ग्राम सेवक से किसी एक की
अभिशांषा पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किये गये आय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
4. मैं छात्रावास में नियमों का सदैव पालन करूंगा/करूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदक श्री/सुश्री.....की कक्षाकी वरियता सूची में
स्थान क्रमांकपर आया है तथा इस कक्षा हेतुरिक्तियां उपलब्ध
है। इसलिए आवेदक का वरियता क्रमांक उपलब्ध रिक्तियां की संख्या की सीमा में आने के
कारण छात्रावास में प्रवेश दिये जाने की अभिशांषा की जाती है।

छात्रावास अधीक्षक

प्रवेश दिये जाने का अनुमोदन किया जाता है।

जिला अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
नागौर